कोविड–19
अतिआवश्यक
ई–मेल

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/कोविड–19/2021 दिनांक 26.04.2021

समस्त,
जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :– कोविड–19 लॉक डाउन अवधि/जन अनुशासन पखवाड़ा/ वीक एंड कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधो के दौरान खाद्य पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला के निर्बाध संचालन के संबंध में ।

राज्य में कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रतिबंधो के दौरान नागरिकों को आवश्यक खाद्य पदार्थों के अभाव का सामना नहीं करना पड़े, इसके मद्देनजर प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज. जयपुर के दिशा–निर्देश दिनांक 23.04.2021 द्वारा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराणा के सामान, आटा चक्की सं संबंधित खुदरा(रिटेल)/थोक(होल सेल) दुकानें आदि को खुला रखने की छूट एवं निर्देश दिए गए हैं।

किराणा दुकानों के खुले रहने के कारण अभी तक नागरिकों को आवश्यक खाद्य राशन सामग्री की उपलब्धता की समस्या नहीं आई है। राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा/वीक एंड कर्फ्यू को लागू किए हुए लगभग 07 दिवस हो चुके है लेकिन इन प्रतिबंधों की समय अवधि व्यतीत होने के साथ ही आपूर्ति श्रंखला में समस्याएं उत्पन्न होना संभावित है क्योंकि थोक दुकानों से नियमित आपूर्ति के अभाव में नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाने में किराणा एवं राशन की दुकानों की क्षमताएं अत्यन्त सीमित होती हैं।

सामान्य परिस्थितियों में किराणा दुकानों, थोक आपूर्तिकर्त्ताओं एवं परिवहन संगठनों के मध्य सुदृढ़ अनौपचारिक तंत्र स्थापित रहता है लेकिन लॉक डाउन अवधि में इनमें से किसी के भी उपलब्ध नहीं होने, आवागमन प्रतिबंधित होने, कुछ स्थानों पर कर्फ्यू आदि कारणों से इस व्यवस्था में प्रभावी रूप से चालू नहीं रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न केवल राजकीय बल्कि निजी क्षेत्र में आपूर्ति श्रंखला को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का प्रभावी दखल एवं नियंत्रण आवश्यक है। **जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यकता अनुसार इस संबंध में अपने स्तर पर आदेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं।**

अतः प्रतिबंध लागू होने की अवधि में सम्पूर्ण राज्य में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रंखला को सुचारू बनाए रखने हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

1. उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं मिल सके, इसके लिए खुदरा विक्रेता/किराना स्टोर के द्वारा जो खुली खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, उसकी मूल्य सूची चस्पा करवाई जाने हेतु निर्देश जारी किए जायें। इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 23.04.2021 के अनुसरण में खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान, पुलिस विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का संयुक्त दल गठित कराकर समुचित पर्यवेक्षण करावें किसी भी प्रकार की अवहेलना पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावे।
2. डिब्बा बंद वस्तुएं उन पर अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जाना विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 18(2) के तहत बेचा जाना प्रतिबंधित है। इस संबंध में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के विधिक माप विज्ञान अधिकारी जांच करने हेतु अधिकृत हैं। डिब्बा बंद वस्तुओं को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जाना नियम, 32 के तहत 5000/– तक के जुर्माने से दण्डनीय है। इस संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश क्रमांक एफ89/बाट माप/एलएम–09(08)/2017 दिनांक 25.04.2021 से विधिक माप विज्ञान अधिकारीयों को जिला रसद अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रतिदिन न्यूनतम 03 किराना/डिपार्टमेन्टल स्टोर आदि का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गये हैं।
3. आपूर्ति श्रंखला बनाए रखने के लिए आपके जिले की समस्त आटा, तेल एवं दाल मिलों और समस्त थोक विक्रेताओं को चिन्हित किया जाए तथा इन्हें सूचीबद्ध करते हुए इनके संपर्क नंबर सभी किराणा दुकानदारों को उपलब्ध करवाए जाएं। किसी भी विकट परिस्थिति में संबंधित से निपटने के लिए इनसिडेंट कमाडंर को भी यह सूची उपलब्ध करवाई जावे।
4. मंडियों, मिलों एवं थोक विक्रेताओं से किराणा दुकानों तक आपूर्ति हेतु वाहनों का चिन्हीकरण किया जाए। परिवहन साधनों की आवश्यकता मंडियों एवं मिलों से लेकर गली मोहल्ले तक सामान आपूर्ति हेतु होगी अतः वाहनों का त्रिस्तरीय चयन किया जाए।

   प्रथम, मंडी, फैक्ट्री एवं मिल से थोक आपूर्तिकर्त्ताओं तक आपूर्ति तथा अंतरजिला परिवहन हेतु बड़े वाहन।

   द्वितीय, थोक आपूर्तिकर्त्ताओं से किराना दुकानों तक आपूर्ति हेतु मध्यम वाहन।

   तृतीय, थोक विक्रेताओं से छोटे मोहल्लों एवं गलियों तक आपूर्ति एवं किराणा दुकानों से घर–घर आपूर्ति हेतु हल्के छोटे वाहन।
5. जिले में उपलब्ध बड़े, मध्यम एवं लघु वाहनों का व्यवस्थित श्रेणीकरण करते हुए आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी वाहन मालिक द्वारा इसमें कोताही बरतने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्यवाही की जावे। यदि आवश्यक हो तो भारतीय डाक विभाग के डाक वितरण वाहन का भी उपयोग किया जावे। डाक विभाग द्वारा गत वर्ष की लॉक डाउन अवधि में अपने वाहन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध करवाने की सहमति दी थी।
6. किराणा दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और वाहन मालिकों के मध्य समन्वय हेतु यथासंभव क्षेत्रवार / वार्डवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएं व विशेष को समस्या आने पर जिला स्तर से मोनिटरिंग करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। लॉक डाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के भावों में अनावश्यक वृद्धि न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

7. थोक आपूर्ति के लिए कुछ जिलों की अन्य जिलों में स्थित प्रतिष्ठानों पर निर्भरता हो सकती है जिसके कारण अन्तरजिला परिवहन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर स्थानीय थोक विक्रेता संघ/किराणा संघों से चर्चा कर अपने जिले के लिए ऐसे अन्तरजिला आपूर्तिकर्त्ता की पहचान कर न केवल संबंधित आपूर्तिकर्त्ता बल्कि संबंधित जिला कलेक्टर जहां वह प्रतिष्ठान स्थित है, से भी आवश्यक समन्वय करे ताकि परिवहन में किसी प्रकार की समस्या न आए।

लॉक डाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी मिलों/थोक भंडारों आदि को खुला रखने के लिए जिला कलक्टरों को आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा मिलों/थोक/भंडारगृहों आदि को चालू रखना सुनिश्चित किया जाएं।

मिल/थोक भंडार आदि संचालन के समय कहीं–कहीं अधिक व्यक्तियों के नियोजन की संभावना के मद्देनजर इन स्थानों पर उपयुक्त कोविड व्यवहार यथा सामाजिक दूरी (Social distancing) संपर्करहित (Contactless) व्यवहार एवं स्वच्छीकरण (sanitization) का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

उक्त निर्देशों की कडाई से पालना की जावे।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/कोविड–19/2021 दिनांक 26.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सहायक, उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, खाद्य विभाग, राजस्थान।
6. जिला रसद अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
7. विभागीय प्रोगामर समस्त को ई–मेल भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त